यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की के माह 04/2013 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राजकुमार, (ले.प.) श्री खुशीराम (व.ले.प.), रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 08.09.2017 से 13.09.2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री वजय नेगी (ले.प.), श्री हिमांशुम ण व एस.के. जौहरी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 25.02.2014 से 04.03.2014 तक श्री ए.सी. कटियार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2013 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 08/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः यह महा वद्यालय रूड़की के एन.एच.-73 पर स्थित है। यहाँ की समुद्र तल से ऊँचाई 266.80 मी. है।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2013-14	-	-	21963980	21963980	लागू नहीं		-	-
2014-15	-	-	26206274	26206274	लागू नहीं		-	-
2015-16	-	-	24824739	24824739	लागू नहीं		-	-
2016-17	-	-	5219358	5219358	लागू नहीं		-	-
2017 से अब तक	-	-	मई 2016 से वेतन ऑनलाइन शुरू होगा।		लागू नहीं		-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
2014-15	-	-	-	-	-
2015-16	UGC	-	1320000	-	-
2016-17	-	-	-	-	-

(iii) इकाई को बजट आवंटन महा वदायलय का व भन्न नि धयों से सृ गत Maintenance Fund द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई (C) श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2013 व 07/2014 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18, लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

STAN

प्रस्तर-1- कॉशन मनी पंजिका का रखरखाव निरीक्षण के अनुरूप नहीं पाया जाना तथा रू. 45000.00 का आहरण नियम संगत नहीं पाया जाना।

शासनादेश सं. 5125 दिनांक 10.07.86 में की गयी व्यवस्थानुसार यदि कन्हीं कारणों से कसी छात्र कोष में बचत हो जाती है और यह बचत 03 वर्ष तक बनी रहती है, तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यों में व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है, जिस पर कालेज की प्रबन्ध स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की की लेखापरीक्षा में कॉशनमनी पंजिका के रखरखाव की जांच की गयी। कॉलेज के ववर णका में पाया गया क छात्र/छात्रा द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति धनरा श उसके उत्तीर्ण होने के 01 वर्ष तक ही सुर क्षत रखी जायेगी। तदोपरान्त वह निरस्त समझी जायेगी। परन्तु कॉशनमनी पंजिका में आव धक बचत ववरण कही भी दर्ज नहीं पाया गया। पंजिका में छात्र छात्राओं को वर्ष दर वर्ष वापस की जाने वाली धनरा श का लेखांकन क्रमबद्ध नहीं पाया गया, जिससे वास्त वक आँकड़ों पर नहीं पहुंचा जा सका। अ भलेखों की जांच में पाया गया क दिसम्बर 2012 में कॉलेज द्वारा रू. 45000.00 आहरण करने के पूर्व नियमतः प्रबन्ध स मति के अनुमोदनोपरांत निदेशक, उच्च शक्षा से अनुमति नहीं ली गयी।

इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई द्वारा निदेशक के दिनांक 14 सतम्बर, 2016 के पत्र प्रस्तुत कये गये, जिसमें कॉशन मनी के रखरखाव की अनुमति चाही गयी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया क्यों क आहरण पूर्व के वर्ष के थे जिसमें नियम संगत अनुमति नहीं ली गयी तथा आँकड़ों का रखरखाव लेखापरीक्षा के अनुरूप नही पाया गया।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-**II** 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-**II** 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
181/2013-14	01	-	01

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
निर्धारित प्रपत्र में आख्या उ चत माध्यम से प्रे षत करने की यूनिट द्वारा कहा गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

------शून्य-------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः
   (i) शून्य
2. सतत् अनिय मतताएः
   (i) शून्य
3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अव ध
1.	डॉ. व पन प्रताप गौतम	प्राचार्य	05.03.2014 से लेखापरीक्षा तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति प्राचार्य बी.एस.एम. (पी.जी.) कॉलेज, रूड़की को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र